कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर।
Office of Divisional Forest Officer Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar.
Phone/Fax No-01372-252149
Email- dfokedarnath@gmail.com

पत्रांकः– 5391 /12–1 गोपेश्वर दिनांकः– 25 जून 2021

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एव नोडल अधिकारी,
वन संरक्षक इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी
उत्तराखण्ड देहरादून

द्वाराः– निदेशक / वन संरक्षक नन्दादेवी बायोस्फिर रिजर्व गोपेश्वर।

विषयः– मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में देवल से धानई तक मोटर मार्ग के सम्बन्ध में।

संदर्भः– अधिशीसी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 गौचर का पत्रांक 1006/1 सी0 वन दिनांक 19–06–2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत करना है अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग गौचर के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयाँकित मोटर मार्ग में चाही गई बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचनाओं का विवरण इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। सुलभ संदर्भ हेतु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 गौचर का पत्र मय संलग्नक प्रेषित किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि विषयाँकित प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(अमित कंवर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर।

ई–मेल/ऑनलाइन अपलोड

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।
Phone/Fax No. :- 01363-240614
Email:-eepwdgauchar@gmail.com

पत्रांक– 1006 /1सी0 (वन)

दिनांक 19/06/2021

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी
उत्तराखण्ड देहरादून।

द्वारा– उपवन संरक्षक केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर

विषयः– **मा0मु0घो0 सं0 1471/2015 मे राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में देवल से धानई तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 0.910 हे0 वन पंचायत भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.030 हे0 कुल 0.940 हे0 वन पंचायत भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

सन्दर्भः– **आपका पत्रांक स0 2736 /FP/UK/ROAD /38601/2019 दिनांक 6.5.2021, प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर ऑनलाइन ई0डी0एस0 दिनांक 09.06.2021, इस कार्यालय का पत्रांक सं0– 817/1सी0 वन दिनांक 28.5.2021 एवं मा0 विधायक श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, 06 कर्णप्रयाग विधानसभा उत्तराखण्ड का पत्रांक सं0 558/विधायक/2021 दिनांक 16.06.2021**

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों के अनुपालन में अवगत कराना है कि देवल से धानई तक मोटर मार्ग के वनभूमि प्रस्ताव पर भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कहा गया है कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण का कोई औचित्य नहीं है। जिस सम्बन्ध में इस कार्यालय के संदर्भित पत्र 817/1सी0 वन दिनांक 28.5.2021 द्वारा पूर्व में ही मोटर मार्ग की महत्ता को बिन्दुवार अंकित करते हुये स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया था। मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु मा0 विधायक श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, 06 कर्णप्रयाग विधानसभा उत्तराखण्ड द्वारा भी अपने पत्र के माध्यम से मोटर मार्ग की महत्ता को अंकित करते हुये स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि ग्रामीणों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुये ग्रामवासियों को सामाजिक रूप से मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु सम्यक रूप से विचार करते हुये स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

संलग्न– मा0 विधायक श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, 06 कर्णप्रयाग विधानसभा उत्तराखण्ड का पत्रांक सं0 558/विधायक/2021 दिनांक 16.06.2021 की छायाप्रति।

भवदीय
19/06/21
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0 गौचर

पत्रांक /1सी0 वन तद्दिनांक

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी चमोली को सादर सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृप्या अपने स्तर से भी उपरोक्त को पत्र लिखिने की कृपा करें ।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0 गौचर

सुरेन्द्र सिंह नेगी
विधायक
06 कर्णप्रयाग, विधान सभा,
उत्तराखण्ड

सदस्य विधान सभा

ग्राम – सोनीयाणा, पो.ओ. गैरसैण,
जिला – चमोली (उत्तराखण्ड)
फोन : 7579099057, 9837423551,9412006166
ई–मेल : ssnegimlakpg@gmail.com

पत्रांक : 558/विधा0/क0/2021

दिनांक: 16/06/21

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः- जनपद चमोली में नाबार्ड योजना के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में देवल से धारनई तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.94 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तानान्तरण। (Online No. FP/UK/ROAD/38601/2019)

जनपद चमोली के मेरे विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत शा0सं0सं0-1471/2016 नाबार्ड योजना के अन्तर्गत देवल से धारनई तक मोटर मार्ग लम्बाई 3 कि0मी0 की स्वीकृति उत्तराखण्ड शासन द्वारा वर्ष 2016 में प्रदान की गयी है। मार्ग में वन भूमि पड़ती है। जिसके प्रस्ताव पैकेज संख्या FP/UK/ROAD/38601/2019 से लोक निर्माण विभाग गौचर द्वारा आनलाइन किये गये हैं। क्षेत्र की जनता द्वारा अवगत कराया गया है कि वन भूमि प्रस्तावों में वन विभाग द्वारा रिजर्व फारेस्ट में आपत्ति की जा रही है तथा मोटरमार्ग के वन भूमि हस्तानान्तरण में बहुत विलम्ब हो गया है। ग्राम धारनई एक पुराना ग्राम है। जिसकी आबादी 190 है यह ग्राम सुदूर पहाड़ी पर स्थित है तथा इसकी अधिकांश आबादी मोटर मार्ग से संयोजित नहीं है। पर्वतीय क्षेत्रों में गांवों की बसावट पहाड़ी ढलान पर होती है। ग्राम धारनई कर्णप्रयाग-नौटी-पैठाणी मोटर मार्ग से लगभग 1 कि0मी0 खड़ी एवं ऊंचाई पर स्थित है।

क्षेत्र के विकास हेतु सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है जिससे सरकार की प्राथमिकता के अनुसार पलायन को भी रोका जाना है।

ग्राम धारनई को जोड़ने हेतु ग्रामीण लोक निर्माण गौचर द्वारा तय संरेखण के अलावा अन्य संरेखण पर सहमत नहीं है तथा मोटर मार्ग की लम्बाई भी अधिक आयेगी जिससे मार्ग निर्माण में अधिक वन भूमि प्रभावित होगी एवं लागत भी अधिक आयेगी। लोक निर्माण विभाग गौचर द्वारा गठित प्रस्ताव पर ही क्षेत्र की जनता को सुविधा एवं जनहित में है।

अतः उपरोक्त प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से मुझे भी अवगत कराने का कष्ट करें।

(सुरेन्द्र सिंह नेगी)
सुरेन्द्र सिंह नेगी
विधायक
06-कर्णप्रयाग, विधानसभा
उत्तराखण्ड

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
(1) जिलाधिकारी-चमोली।
(2) अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग गौचर।

(सुरेन्द्र सिंह नेगी)